संख्या-9/2017/क0नि0-4-1070/11-2017-300(1)/12

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊःदिनांक 08 नवम्बर, 2017**

विषयः- भारत संचार निगम लिमिटेड को दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-16.07.2016 तक की तरंग (सी0यू0जी0) योजना के अन्तर्गत धनराशि के भुगतान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-बी-4-नजारत टेलीफोन/तरंग योजना/3086/ वाणिज्य कर, दिनांक-29अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-16.07.2016तक की अवधि में तरंग (सी0यू0जी0) योजना के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वाणिज्य कर विभाग को प्रदान की गयी सेवाओं हेतु धनराशि रूपये-44,17,343.00 (रूपया-चौवालीस लाख सत्रह हजार तीन सौ तैंतालीस मात्र) का भुगतान भारत संचार निगम लिमिटेड को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-''2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर,-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in